भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1754

18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

सेल की इकाइयों अथवा संयंत्र की भूमि

1754. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेल की इकाइयों या संयंत्रों की भूमि संबंधित सेल संयंत्रों के नाम पर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, इस्को, सेलम आदि की भूमि स्वामित्व-मुक्त (फ्रीहोल्ड) है;

(ग) यदि हां, तो आरआईएनएल की भूमि का स्वामित्व संयंत्र के नाम पर न होकर इस्पात मंत्रालय के नाम पर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार, आरआईएनएल को अपनी आस्तियों का आधार बढ़ाने और इसकी साख को बढ़ाने के लिए भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने की इच्छुक क्यो नहीं हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्रों/इकाइयों की भूमि संबंधित संयंत्रों/इकाइयों के नाम पर है। भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, अलॉय इस्पात संयंत्र और विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के संबंध में भूमि का स्वामित्व फ्रीहोल्ड आधार पर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के संबंध में भूमि का स्वामित्व पट्टे के आधार पर है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) के लिए भूमि केन्द्र सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई थी। भूमि का उपयोग आरआईएनएल द्वारा मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) के तहत इस्पात परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। आरआईएनएल को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****